

सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनर्त्थान नीति, 2012 के अंतर्गत श्रीमति कोशिला देवी पति प्रभु गंडु, श्री मनोज कुमार गंडु पिता रथु गंडु, श्री कुलदीप गंडु पिता शिवलाल गंडु, श्री किशुन गंडु पिता कौलेश्वर गंडु, श्री सिकंदर गंडु पिता बबुआ गंडु और श्री शंकर गंडु पिता तिमिया गंडु निवासी ग्राम: हेंजदा , थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: कुटकी और हेंजदा थाना सं: 95 और 94 (रैयती एवं गैरमजूरवा बंदोबस्त) खाता सं. 30, 47, 46 & 45 के अधीन प्लॉट सं. 412, 417, 422, 427, 466, 468, 470, 475, 476, 480, 486, 86, 289 & 364, कुल रकबा - 12.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव अग्रेषित किया गया है ।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन / रूप को महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं । बेबसाईट http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_Ind.php पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप से महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं ।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के समय सीमा के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: हेंजदा, थाना: पिपरवार , जिला: चतरा (झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम ग्राम: : कुटकी और हेंजदा थाना सं: 95 और 94 (रैयती एवं गैरमजूरवा बंदोबस्त) खाता सं. 30, 47, 46 & 45 के अधीन प्लॉट सं. 412, 417, 422, 427, 466, 468, 470, 475, 476, 480, 486, 86, 289 & 364, कुल रकबा - 12.00 एकड़ के तहत श्रीमति कोशिला देवी पति प्रभु गंडु, श्री मनोज कुमार गंडु पिता रथु गंडु, श्री कुलदीप गंडु पिता शिवलाल गंडु, श्री किशुन गंडु पिता कौलेश्वर गंडु, श्री सिकंदर गंडु पिता बबुआ गंडु और श्री शंकर गंडु पिता तिमिया गंडु निवासी ग्राम: हेंजदा , थाना: पिपरवार, जिला: चतरा (झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है ।

Rishi Kaul
08/02/019